न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— गुलाब सिंह वर्मा (आरएएस)

प्रार्थना पत्र :— 131/2023 निर्णय दिनांक :— 28.12.2023

उनवान

सरकार बनाम उम्मेद सिंह

प्रार्थना पत्र राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चाकसू के द्वारा शिविर प्रभारी प्रशासन गांवों के सगं अभियान केम्प बल्लूपुरा में दिनांक 22.06.2023 को प्रार्थीगण किशोर सिंह, उम्मेद सिंह, हनुमान सिंह, ओमसिंह, सग्राम सिंह, वगै द्वारा शामलाती भूमि व कुवे पर आने जाने हेतु आपसी सहमति से निजी उपयोग हेतु रास्ता शामलाती भूमि मे से रास्ता काटने व राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु आपसी सहमति पत्र के पेश करने पर तहसीलदार चाकसू से रिपोर्ट ली गयी तो तहसीलदार चाकसू ने ग्राम धोराला पटवार हल्का बल्लूपुरा द्वारा मौके पर ग्राम धोराला की भूमि मुताबिक प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि रास्ता प्रयोजनार्थ की मौका खातेदारान की उपस्थिति में देखा गया मौके पर ग्राम धोराला के खसरा नंबर 107, 108/2, 131/1, 128/2, 126/1, 127, 128/1 में होकर करीब लगभग 10 फुट चोडा रास्ता गुजर रहा है। मौके पर उक्त खसरा नम्बरान के खातेदारान से उक्त भूमि जिसमें कच्चा रास्ता गुजर रहा खातेदारी भूमि होने से रास्ता का प्रस्ताव तैयार करने हेतु जानकारी सहमति प्रदान की गई कि इनमें से होकर 10 फीटर चोडा रास्ता प्रस्तावति कर दिया जावे तो कोई आपत्ति नही है। इस प्रकार तहसीलदार चाकसू के द्वारा पत्र कमांक 1152 दिनांक 5089

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

दिनांक 11.07.2023 द्वारा प्राप्त होने पर सभी प्रभावित काश्तकारों को तलब किया गया तो सभी प्रभावित काश्तकारों को तलब किया गया तो सभी प्रभावित काश्तकारों द्वारा पूर्व में दी गयी सहमति पत्र के अनुसार रास्ता दिया जाना जाहिर किया गया। इस प्रकार तहसीलदार चाकसू की रिपोर्ट एवं प्रभावित काश्तकार द्वारा सहमति दिये जाने के कारण रास्ते को राज्य सरकार राजस्व विभाग (राजस्व ग्रुप'6) राजस्थान सरकार जयपुर के परिपत्र प.3 (2) राज'6/2003 पार्ट दिनांक 10.08.2016 के अनुक्रम में राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करवाया जाने हेतु तहसीलदार द्वारा अनुसंशा की गयी है क्योकि तहसीलदार चाकसू ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में रिपोर्ट पटवारी हल्का भू. अभिलेख निरीक्षक नक्शा ट्रेस नकल जमाबन्दी उपरोक्त खसरा नम्बरान की सम्वत 2074–77 आदि भी पेश किये गये।

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के सुसंगत प्रावधानों एवं दस्तावेजों का अवलोकन यिा गया तथा पैरोकार सरकार को सुना गया वाके ग्राम धोराला प.ह बल्लुपुरा तहसील चाकसू में स्थित खसरा नंबर 107, 108/2, 131/1, 128/2, 126/1, 127, 128/1 की किस्म बजंड 1 एवं बारानी 2 दर्ज है जो रास्ते के उपयोग में आ रही है जिसकी किस्म एवं बारानी दर्ज होने से खसरा नम्बरान को आम रास्ते के रूप में दर्ज किया जाना न्याय संगत है क्योकि प्रभावित काश्तकारों द्वारा भी सहमति पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित है।

अतः प्रार्थीगण एवं प्रार्थना पत्र सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू का हस्तगत प्रार्थना पत्र राज्य सरकार राजस्व विभाग परिपत्र प.3 (2) राज'6/2003 पार्ट दिनांक 10.08.2016 के अनुक्रम में स्वीकार किया जाकर चाहे गये रास्ते खसरा नंबर 107

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

बा 0.14 है0 मे से 0.04 है0, 108/2 रकबा 0.78 है0 मे से 0.02 है0, 131/1 रकबा 0.27 है0 मे से 0.01 है0, 131/2 रकबा 0.40 है0 मे से 0.02 है0, 128/2 रकबा 0.22 है0 मे से 0.015 है0, 126/1 रकबा 0.17 है0 मे से 0.02 है0, 127 रकबा 0.15 है0 मे से 0.015 है0, 128/1 रकबा 0.15 है0 मे से 0.015 है0 भूमि प्रस्तावित प्रभलित रास्ते को संलग्न नक्शा ट्रेस में दर्शाये लाल पेन्सिल से दर्शाया गया है जिसे रास्ता हेतु रिकार्ड में अंकित किया जाने के आदेश दिये जाते है। रास्ता में दर्ज खसरा नम्बरान व रकबा पूर्वानुसार यथावत रहेगा। इस प्रकार खसरा नंबर 107, 108/2, 131/1, 128/2, 126/1, 127, 128/1 मे से रकबा 0.04 है0, 0. 02 है0, 0.01 है0, 0.02 है0, 0.015 है0, 0.02 है0, 0.015 है0, 0.02 है0, 0.015 है0, 0.015 है0 भूमि आम रास्ता प्रस्तावित नक्शे अनुसार दर्ज किये जाने का आदेश दिये जाते है। प्रस्तावित नक्शा निर्णय का पार्ट रहेगा। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(गुलाब सिंह वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

D:\Office\CRT\sarkar vs ummed singh.docx